Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069, Impact Factor: 7.650, Volume 11, No. 02, April-June, 2025, pp. 172-176

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : एक विश्लेषण

अशोक कुमार*

सार

पंचायत राज संस्थानोंको ग्रामीण विकास की सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है और यह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन विकेंद्रीकरण प्रक्रिया और भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायती राजसंस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर एक विषयगत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें पंचायत कामकाज स्व – निर्णय लेने की क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, परिवर्तनों के बारे में प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है। उनकी सामाजिक – आर्थिक स्थितियों, पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और उनकी राजनीतिक भागीदारी में। कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई के कारण काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेता कम भ्रष्ट हैं, प्रभावी मूल्य पर समान गुणवत्ता के अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और समग्र शासन में सुधार के लिए महिलाओं की प्राथमिकताओं पर विचार करती हैं। इसके विपरीत, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि महिला प्रतिनिधि अशिक्षित है विशेषकर ग्राम विकास कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने में वे पतियों और पुरुष अधिकारियों पर निर्भर रहती हैं। समीक्षा से पता चलता है कि पितृसत्तात्मक और जाति– ग्रस्त समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक यात्रा आसान नहीं है, जिसके कारण ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों के प्रभुत्व के कारण महिला प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर काम करने में सहज नहीं हैं और उन्हें पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में अपनी क्षमता साबित करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा, यह पाया गया कि पुरुष प्रतिनिधि राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक समय बिताते हैं, जबकि महिलाएं घरेलू कामकाज में अधिक समय बिताती हैं। कुल मिलाकर 73वें संशोधन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई ने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्तिकरण की भावना दी है, हालांकि उन्हें अभी भी संतुलन स्तर तक पहुंचना बाकी है। जैसा कि कई शोधकर्ताओं ने माना है, अगले दशक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति, नेतृत्व भूमिका, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर और राजनीतिक जागरूकता और उपलब्धि में और प्रगति करने के लिए बाध्य हैं।

शब्दकोशः *पंचायती राज, महिला भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी*

प्रस्तावना

"महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। "देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।" एक बार जब महिला कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है"। – स्वामी विवेकाराज संस्थाएं लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यह मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। केन्द्र तथा राज्य शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर की

* सहायक आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजधानी पी.जी. महाविद्यालय, नारायणपुर।

लोकतान्त्रिक मान्यतायें शक्तिशाली न हो। लोकतंत्रीय राजनीति व्यवस्था में पंचायती राज ही को सामान्य जन के वह माध्यम है जो शासन दरवाजे तक लाता है। इस व्यवस्था में लोग विकास कार्यों के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय पद्धति के द्वारा आसानी से करने का प्रयास करते है। इससे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के संचालन का स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण स्वतः प्राप्त होता है। ये स्थानिय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में विधानसभा एवम् संसद कानिधित्व कर राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते है। अतः रू पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को विकसित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोकतंत्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है, जबकि पंचायत राज संस्थान (पीआरआई) इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की गारंटी देता है। अधिक लैंगिक समानता किसी भी लोकतंत्र में महिलाओं की सफल भागीदारी की कुंजी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में भारत में महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आये हैं। जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो महात्मा गांधी ने कहारू 'जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेतीं, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकताय विकेंद्रीकरण का सपना कभी पूरा नहीं हो सका मेरे लिए उस तरह का स्वराज किसी काम का नहीं, जिसमें ऐसी महिलाओं ने अपना पूरा योगदान न दिया हो' (उषा, 1999)। लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंता का विषय है और भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन्हें सही अर्थों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई हस्तक्षेप कार्यक्रमों में लगी हुई है।

महिला सशक्तिकरण समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया है जिससे उन्हें सम्मानजनक और सम्मानित जीवन मिलता है। महिला सशक्तिकरण प्रमोटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 73वां संवैधानिक संशोधन मुख्यतः दो कारणों से एक मील का पत्थर है इसने स्थानीय सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की और इसने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। यह महिलाओं के लिए पंचायत सीटों में 33 प्रतिशत (कुल संख्या का एक तिहाई) आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें भी प्रदान करता है। पंचायतों के अध्यक्षों के पदों का समान अनुपात (एक तिहाई) महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में पीआरआई स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 50ः निर्धारित है।

अध्ययन का उद्देश्य

पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिये किये गये सरकारी प्रयासों का अवलोकन करना और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना का उद्देश्य है।

तथ्यों का संकलन

तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक श्रोतों का सहयोग लिया है। विभिन्न शोध पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं आदि के महत्वपूर्ण तथ्यों का भी किया गया है।

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूपपंचायती संस्थाए ंलोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतन्त्राता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर को लोकतंत्रता की सुरक्षा देती है। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व–निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते अच्छी शासन–व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधरों की निरन्तरता, वितरणात्मक

न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं। 1 पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्धन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य है।

पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

शुरू से ही कई भारतीय गांवों की रीढ़ रही है। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के समर्थन में थे और उनका सपना 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ साकार हुआ, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है । यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित महिलाओं को कुल एक तिहाई सीटें प्रदान करता है। इसने के कुल पदों में से एक–तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करदिया।

पंचायत में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार हैः

- चुनाव में भागीदारी
- ग्रामीण विकास में भागीदारी
- निर्णय लेने में भागीदारी
- सामाजिकक्रांति एजेंट
- भ्रष्टाचार कम करना दलितों के खिलाफ हिंसा में कमी

पंचायत राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे हैं–

- पंचायतों में राजनीतिक हस्तक्षेप मौजूद है
- महिलाओं को पुरुषों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है
- पति निर्वाचित महिलाओं का हस्तक्षेप लेता है और उसकी ओर से कार्य करता है
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव हैय उनके पास जो अधिकार हैं
- सभी नकारात्मक जनमत

पंचायत राज संस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए की गई पहल हैं–

- अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- सभी निर्वाचित नेताओं को दिशानिर्देशों का पालन करने और ग्रामीणों को पीआरआई– अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए न्यूनतम साक्षरता होनी चाहिए।
- महिलाओं को शासन के बारे में शिक्षित करने और इन क्षेत्रों में महिलाओं की उच्च भागीदारी बढ़ाने के लिए साक्षरता एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
- यात्रा को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं में नेतृत्व और संचार कौशल विकसित करना।
- उन्हें बोलने के लिए प्रशिक्षित करें और पंचायत अधिकारों का दावा करने के लिए स्थानीय स्वशासन के साथ जुड़ने के साधन खोजें।

- महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए की गई सुविधाओं और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना।
- सभी सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना और प्रेरित करना।

पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीतिक भागीदारी

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वीं संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि महिलाओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है या नहीं। राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अध्ययन ने महिला सशक्तीकरण पर लिंग कोटा के कई प्रभावों पर एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित किया और उन कारकों का पता लगाया जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और भागीदारी को सुविधाजनक और प्रतिबंधित करते हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर लिंग कोटा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नौ अवधारणाएँ तैयार की गईं जिनमें शामिल थींरू राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक रुचि, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक संपर्क, राजनीतिक विरोध, लिंग भूमिका रवैया, सार्वजनिक परियोजनाएँ और आत्मविश्वास। वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग कोटा का महिलाओं के राजनीतिक ज्ञान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक गतिविधियों और पंचायत कार्यों के बारे में अच्छी जानकारी होती है और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं राजनीतिक कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक ज्ञान के साथ – साथ महिलाओं की राजनीति में रुचि भी बढ़ी है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस अर्थ में आरक्षण का सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के आत्मविश्वास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है जो न केवल राजनीति के लिए बल्कि महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस प्रणाली ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक दृश्यमान हो गई हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने का आत्मविश्वास प्राप्त किया है। महिला आरक्षण प्रणाली भी शराबबंदी, दहेज विवाद, तलाक और लड़कियों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विरोध करने में महिलाओं के लिए सहायक रही है। लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां ऐसा लगता है कि आरक्षण बहुत प्रभावी नहीं रहा है. जहां तक राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, वर्तमान अध्ययन में समग्र संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं भागीदारी तकनीकों के बारे में जानने के लिए बहुतउत्सुक हैं लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में अभी भी एक बड़ा अंतर पाटना बाकी है। जैसा कि हम आंकड़ों से देख सकते हैं, आरक्षण के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों में राजनीतिक विश्वास नहीं बढ़ा है, हालाँकि इन महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा है। इसके पीछे का कारण, जैसा कि महिला प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में पाया गया, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां राजनीतिक दल आरक्षण के कारण एक महिला को नामांकित करने के लिए बाध्य हैं और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पार्टी के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। इसी तरह का परिणाम राजनीतिक संपर्कों की श्रेणी में पाया जा सकता है जहां डेटा से पता चलता है कि लिंग कोटा। ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था महिलाओं के राजनीतिक संपर्कों पर सकारात्मक प्रभाव डालने से कोसों दूर है।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य योगदान यह है कि यह एक नई श्रेणी जोड़कर सशक्तिकरण पर आरक्षण के प्रभाव को मापने के लिए एक अलग आयाम सुझाता है जिस पर पिछले शोधकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया हैरू महिला प्रतिनिधियों द्वारा शुरू की गई नई सार्वजनिक परियोजनाओं की शुरुआत। अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि इन महिला प्रतिनिधियों ने पंचायतों की नियमित गतिविधियों के अलावा कुछ सार्वजनिक परियोजनाएं शुरू करने की कोशिश की है लेकिन सरकार से समर्थन की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक धन मिल सके। राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक भूमिका के दृष्टिकोण के संबंध में महिला प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता है। इन महिलाओं के मुताबिक पुरुष उन्हें कोई महत्व नहीं देते थे और महिलाओं को कभी इस बारे में बताया नहीं जाता था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जैन, प्रकाश (1993), "पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व" कुरुक्षेत्र नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नइ दिल्ली।
2. सिंह, अशोक कुमार (1994), "ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम", योजना, नई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), "भारत का संविधान", ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ। कुंवर, नीलिमा मिश्रा, स्वेता (1997), "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता" कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली।
4. एवं कनोजिया, सीमा (1988) "पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका" कुरुक्षेत्र, सितम्बर, प्रकाशन विभाग,
5. भारत सरकार, नई दिल्ली। पाँडा, स्नेहलता (1998) "पंचायतों में महिलाओं की भूमिका", योजना, अक्तूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. यतीन्द्र सिंह "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण", कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन
7. विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। शरण, श्रीवल्लभ (1998), "पंचायतों में महिलाएँ जरूरत है सक्रिय भूमिका की", कुरुक्षेत्र अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारतसरकार नई दिल्ली।

❑❑❑